न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—04 / 2021 (2021 / 170) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—सीता देवी पत्नि प्यारचन्द कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—नाथु पिता चैना कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 31.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुरास पटवार हल्का बागोलिया के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की खातेदारी की आ.सं. 100 रकबा 0.24 हैक्ट, स्थित हैं। उक्त आराजियात को करीब 20 वर्ष पूर्व प्रार्थी द्वारा भूरालाल पिता राधा कृष्ण राव से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त वादग्रस्त आराजी के साबिक नम्बर 73 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा थे प्रमाण में साबिक जमाबंदी संवत् 2043 से 2046, साबिक नक्शा ट्रेस, वर्तमान जमाबंदी तथा नक्शा ट्रेस की नकल प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थी की साबिक आ. सं. 73 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमी पर प्रार्थी वक्त क्रय से पुराने नक्शे अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं तथा प्रार्थी से पहले पूर्व खातेदार भी साबिक नक्शे अनुसार ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था। विपक्षी संख्या एक की साबिक आ.सं. 74 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमी प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 73 के पूर्वी दिशा में स्थित होकर साबिक आ.सं. 77 की पूर्वी पाली की सीध में थी तथा विपक्षी संख्या एक उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। विपक्षी संख्या एक की साबिक आराजी के नवीन नम्बर आ सं. 101 रकबा 0.39 हैक्ट कायम किए गए। भुप्रबंध के दौरान भुप्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी व विपक्षी संख्या एक की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किए गए परंतु बिना किसी विधिक आदेश के भुप्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 100 के नवीन नक्शे को साबिक नक्शे के विपरीत तरमीम करते हुए प्रार्थी की आराजी की पूर्वी [illegible] को पश्चिमी तरफ खिसकाते हुए प्रार्थी की आराजी में विपक्षी संख्या एक [illegible] पाली को बढ़ाते हुए प्रार्थी की आराजी का रकबा नवीन नक्शे में [illegible] अवैध [illegible] प्रार्थी की साबिक आराजी की पूर्वी पाली साबिक नक्शे में साबिक आराजी 77 की पूर्वी [illegible] से मिली हुई थी। भुप्रबंध विभाग का उक्त कृत्य विधी विरूद्ध होने से प्रार्थी की नवीन आराजी का नक्शा साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित हैं। प्रमाण में मिलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:22 IST
Reason: SelfAttested

क्षेत्रफल की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सुरास में स्थित प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 100 रकबा 0.24 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार रायपुर की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सुरास की आराजी संख्या 100 रकबा 0.24 है0 सीतादेवी पत्नि प्यारचन्द कुमावत के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है व आराजी संख्या 101 रकबा 0.39 है0 भूमि श्री नाथु पिता चैना कुमावत के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त दोनो आराजियात का नक्शा ट्रेस व मौके अनुसार नजरी नक्शा बनाया गया जो पत्रावली में संलग्न किया गया है।

तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन प्रार्थी अधिवक्ता को कराया गया एवं एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने से पाया कि प्रार्थीया के नाम ग्राम सुरास की आराजी संख्या 100 रकबा 0.24 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है प्रार्थीया का मौके पर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा होना दर्शाया गया है और इसके अतिरिक्त आराजी संख्या 101 की भी पश्चिमी मेड़ के सहारे अपना कब्जा एवं साबिक नक्शे का हवाला देते हुए आराजी संख्या 100 के नक्शे को तरमीम कराना चाहती है जो उचित नही है। चूंकि खातेदार के नाम दर्ज जमाबन्दी में दर्ज भूमि से अधिक रकबे का नक्शा नही होता है प्रार्थीया के नाम दर्ज रकबे की सीमा तक जो नक्शा भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा आराजी संख्या 100 का बनाया गया है जो सही है इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नही होने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानो एवं खाते में दर्ज रकबे [illegible] से अधिक कब्जे अनुसार नक्शा दुरस्त कराना चाहती है जो विधि विरुद्ध होने से [illegible] किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे [illegible] लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:22 IST
Reason: SelfAttested

31.03.2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा